

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गाँव चारणवासी, जिला झुन्झुनू, तहसील मलसीसर राजस्थान में 1200 वर्ग मिटर खेत में विद्युत पारेषण लाइन 765 के.वी. डी/सी बीकानेर खेतड़ी का निर्माण कार्य चल रहा जो की बड़ा टावर 6+ है के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदान करने की कृप्या करे:-

1. विद्युत पारेषण लाइन 765 के.वी. डी/सी बीकानेर खेतड़ी के निर्माण के कारण खेत के अंदर लगे विभिन्न प्रकार के वृक्षों का कितना कितना मुआवजा दिया जाता है।
2. पारेषण लाइन 765 के.वी. डी/सी बीकानेर खेतड़ी का निर्माण जो खेती की फसल (रबी/खरीफ) का नुकसान हो रहा है उसका कितना मुआवजा प्रति हैकटैर दिया जाता है।
3. पारेषण लाइन 765 के.वी. डी/सी बीकानेर खेतड़ी का निर्माण के अंतर्गत आने वाली खेती की जमीन व उसके अंतर्गत आने वाले रास्ते का प्रति वर्ग मिटर कितना मुआवजा दिया जाता है।